न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 132/2018 **दायरा दिनांक : 21.08.2018**

उनवान

1— भैरू लाल, आयु 54 साल, आत्मज मुकनिया, जाति भोई, निवासी मंलारगंज, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— गंगाराम, आयु 50 साल, आत्मज मुकनिया, जाति भोई, निवासी मंलारगंज, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— गणपत, आयु 44 साल, आत्मज मुकनिया, जाति भोई, निवासी मंलारगंज, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4— चन्दर लाल, आयु 47 साल, आत्मज मुकनिया, जाति भोई, निवासी मंलारगंज, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— कमला बाई आयु 52 साल बेवा दयाराम पुत्री मुकनिया, जाति भोई, निवासी मंलारगंज, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— शाखा प्रबन्धक महोदय, एस बी बी जे शाखा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री तंवर सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेश शर्मा, श्री औकारेश्वर शर्मा, श्री आरिफ खान

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 2016/00051 सन् 2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम मलारगंज की आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 208 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 210 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 244 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 245 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 430 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 439 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 448 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 449 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 450 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 451 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 452 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 455 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 459 रकबा 1 बिस्वा में घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी अपीलांट की तलबी व जवाब दावा पेश हो जाने के बाद पत्रावली दस्तावेज पेश करने व तनकीयात में चल रही थी तथा दिनांक 08.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प तलावली में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । पत्रावली में तनकीयात भी कायम नहीं की और न ही उभयपक्षों की साक्ष्य नहीं ली । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त

होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का निस्तारण राजस्व लोक अदालत केम्प में किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 निरस्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । राजस्व लोक अदालत में सहमति के आधार पर निर्णित की जाती है । पत्रावली पक्षकारों में घोषणात्मक वाद का निर्णय बिना सहमति राजस्व लोक अदालत में निर्णत करना न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विरूद्ध है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा